नम्बर व ...
अधिकारी जो ...
की तारीख में जारी ...

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 09/2025 जीसीएमएस प्र0स0 – 2025/72 दायर दिनांक 02.04.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

1. अनिल कुमार बादला पुत्र श्री कृष्णलाल बादला (विक्रेता व मालिक) मै0 अंश ट्रेडिंग कम्पनी, पटले मार्ग, श्रीविजयनगर
2. अभिनव कोहली पुत्र विजय कोहली, हॉलसेलर व मालिक, मै0 प्रेम इन्टरप्राईजेज 20 ए रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर
——अभियुक्तगण

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः–06.05.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कंमाक संख्या स/एसएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार खाद्यय सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाये राज. जयपुर के आदेश क्रमाक संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आवंटित किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है।
3. तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 15.10.2021 को समय दोपहर 03:00 बजे मैसर्स अंश ट्रेडिंग कम्पनी, पटले मार्ग, श्रीविजयनगर पर पहुँचे। मौके पर श्री अनिल कुमार बादला पुत्र कृष्णलाल बादला (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे घी (धीरम ब्राण्ड) के बारे मे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500–500 मिली के 40 डिब्बे घी (धीरम ब्राण्ड) आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। इसी घी (धीरम ब्राण्ड) मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते घी (धीरम ब्राण्ड) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (धीरम ब्राण्ड) 500 मिली की 4 पेक डिब्बे विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा घी (धीरम ब्राण्ड) का नगद भुगतान 700 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अनिल कमार बादला एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री अनिल कुमार बादला को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (धीरम ब्राण्ड) 500 मिली की चारों ... चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1203 दर्ज ... लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक ... नमूना भागों को अलग–अलग

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–1203 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अनिल कुमार बादला ने भी पढ़कर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कमांक/एफएसएसए/2022/13–15 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ जो कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/349/एक्ट/2021/539 दिनांक 08.12.2021 द्वारा SUB STANDARD FOOD होना पाया गया है। उक्त आदेश द्वारा अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धारा 46 (4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था। जिसमें रिपोर्ट प्राप्ति के 30 दिवस में अपील हेतु समय दिया गया था। विक्रेता द्वारा उक्त अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन किया गया व नमूना जांच हेतु रेफरल लैब पुणे भिजवाया गया। जिसमें प्राप्त रिपोर्ट नम्बर आरएफएल/पी/डीओ/109/22/155/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा SUB STANDARD FOOD पाया गया। श्रीमान आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खाऔनि/स.सी./2023/3096 दिनांक 02.08.2023 द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी गंगानगर को दिनांक 11.08.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र कमांक–1199–1200 दिनांक 14.08.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री अनिल कुमार बादला व श्री अभिनव कोहली ने खाद्य पदार्थ घी (धीरम ब्राण्ड), SUB STANDARD का विक्रय करके एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा–51 व 28 में निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावे।

4. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 को भेजे गया नोटिस बाद विधिवत तामील प्राप्त हुआ। परन्तु बावजूद पर्याप्त सूचना के भी अभियुक्त संख्या 1 हाजिर नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 23.03.2026 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अभियुक्त संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनू गाबा हाजिर आये। अभियुक्त संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति दिनांक 14.08.2023 को प्राप्त हो गई मगर प्रसंज्ञान अवधि बाधित है। क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि में ही प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में एक वर्ष की अवधि के पश्चाद प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान की अवधि बढाने हेतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है मगर वर्तमान प्रकरण में कोई प्रसंज्ञान की अवधि बढाने हेतु प्राप्त नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 केवल एक हॉलसेलर जो कि निर्माता कम्पनी से प्राप्त हुए माल को आगे खुदरा व्यवसायीयो को सप्लाई करता है। अप्रार्थी संख्या 2 को जो भी स्टॉक कम्पनी से प्राप्त हुआ और जो अप्रार्थी संख्या 01 अंश ट्रेडिंग कम्पनी को सप्लाई किया गया, उसका पूरा स्टेटमेंट पत्रावली में [illegible] को सप्लाई नहीं किया जाता। प्रकरण में घी का नमूना लिया गया है जो [illegible] जिसे निर्माता कम्पनी द्वारा पैकिंग कर भिजवाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार [illegible] नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के कथन है कि प्रकरण के संबंध में अभियोजन स्वीकृति दिनांक 14.08.2023 को प्राप्त हो गई मगर प्रसंज्ञान अवधि बाधित है। क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि में ही प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। इस संबंध मे पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जैर इस्तगासा से संबंधित नमूना संख्या के–1203 दिनांक 15.10.2021 को अभियुक्त की दुकान/प्रतिष्ठान से लिया गया था। अभियोजन स्वीकृति समय पर जारी नहीं होने के कारण अभियोजन हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के संबंध में जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1041 दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्रीमान आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर को लिखा गया था जिस पर श्रीमान आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 30.08.2023 तक अभियोजन हेतु समय समय बढाई गई। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नगूने का बिल एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट भी भिन्न भिन्न है।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिर्पोट संख्या/एलएस/349/एक्ट/2021/539 दिनांक 08.12.2021 द्वारा SUB STANDARD FOOD होना पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा SUB STANDARD का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री अनिल कुमार बादला पुत्र कृष्ण लाल बादला (विक्रेता व मालिक) मै0 अंश ट्रेडिंग कम्पनी पटेल6 मार्ग श्रीविजयनगर तथा श्री अभिनव कोहली पुत्र विजय कोहली, हॉलसेलर व मालिक–मै0 प्रेम इन्टरप्राईजेज, 20 ए रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner